न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 194/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
यशपाल खिलेरी पुत्र स्व. रामनिवास चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम निम्बोला खुर्द तहसील डेगाना जिला नागौर हाल निवासी 18/525, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।		1राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, डेगाना। 2नायब तहसीलदार, डेगाना।

उपस्थिति :–
1. श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक:29.11.2019

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2017 सरकार बनाम यशपाल में निर्णय दिनांक 18.07.17 के तहत मौजा निम्बोला खुर्द के खसरा नं. 38 रकबा 0.0065 हैक्ट. गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.08.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 24.08.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में पटटा सं. 37 की फोटोप्रति, नायब तहसीलदार डेगाना के प्रकरण सं. 46/17 सरकार बनाम यशपाल के फर्द अहकाम दिनांक 03.07.17 से 18.07.17 तक की फोटोप्रति, जारी नोटिस की फोटोप्रति तथा निर्णय दिनांक 18.07.17 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि दिनांक 16.08.18 को तहसीलदार डेगाना के द्वारा 26 प्रकरणो मे हुए अतिक्रमण हटाने के संदर्भ मे पालना किये जाने हेतु पुलिस सहायता मांग की गई और ग्राम पंचायत को एक प्रति भेजी गई। ग्राम पंचायत के द्वारा मौके पर आकर कहा गया कि दिनांक 23.08.18 को 26 प्रकरणो के अतिक्रमणो को हटाया जायेगा और दिनांक 21.08.18 को अपीलांट को जानकारी हुई कि उक्त 26 प्रकरणो मे अपीलांट रहवासीय मकान व बाडे का भी अतिक्रमण मानते हुए हटाने का आदेश पारित किया गया है और अपीलांट के रहवासीय मकान व बाडे को भी हटाया जायेगा। दिनांक 23.08.18 को पुलिस इमदाद की पूर्ण व्यवस्था नही होने व राजकार्य मे व्यस्त होने से प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नही की गई। अपीलांट की ओर से 18.07.17 को पारित किये गये आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, तब अपीलांट को प्रथम बार जानकारी हुई कि उनको बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना नोटिस दिये ही एकतरफा प्रकरण को निस्तारित करते अपीलांट को उनके रहवासीय पटटासुद जायदाद से खसरा सं. 38 का भाग बताते बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.17 की जानकारी किसी भी रूप व किसी भी स्त्रोत से प्राप्त नही हुई है। जानकारी की दिनांक से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुति मे जो देरी हुई ही है, उसे माफ करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(I)–अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट अतिक्रमी नही होकर ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पटटे के आधार पर वैध रूप से काबिज होकर रहवास करता है। यह पटटा अपीलांट के पिता के नाम जारी किया हुआ है। अपीलांट के पिता का देहान्त हो चुका है और अपीलांट इस जायदाद पर वर्ष 1971 से निवास करते आ रहे है और उस पर पक्के तामीरात निर्मित थी, इन सभी तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा एकतरफा ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी स्तर पर किसी भी रूप मे नोटिस व सूचना नही दी गई तथा न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलांट का पक्ष जाने बिना ही और उनके अधिकारो के संदर्भ मे उनका जवाब तलब किये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अपीलांट के पिता स्व. रामनिवास चौधरी, जो सहायक निदेशक अभियोजन पद पर पदस्थापित रहे, के नाम से ग्राम निम्बोलाखुर्द की आबादी भूमि मे पटटासुद भूखण्ड मयमकान आया हुआ है। जिसका पटटा मिसल नं. 16/1970–71 पटटा सं. 37 दिनांक 8.4.77 को जारी हुआ है। जिस पर पहले अपीलांट के पिता व उनके स्वर्गवास पश्चात अपीलांट व अन्य वारिसान काबिज रहते आये है। जो मौके पर कब्जा पटटा अनुसार ही है।

{2}(V)–रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपीलांट की उपस्थिति मे मौके पर न तो भूमि पैमाईश की गई और नही पटटासुद भूमि का नाप चोप किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलांट व अन्य वारिसान की अनुपस्थिति मे उन्हे अतिक्रमी ठहराना अवैध एवं असंवैधानिक है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा निम्बोलाखुर्द में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके निम्बोलाखुर्द के खसरा नंबर 38 रकबा 0.0065 हैक्ट. गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर